

भारत सरकार  
सूचना और प्रसारण मंत्रालय  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या 427  
(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)

**सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ बनाना**

**427. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर:**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

- (क) क्या सरकार आपातकालीन स्थितियों के दौरान विश्वसनीय संचार सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक प्रसारण सेवाओं को सुदृढ़ करने की योजना बना रही है; और
- (ख) डिजिटल प्लेटफार्म पर गलत सूचना और फर्जी खबरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क): आपातकालीन स्थितियों के दौरान संचार सहित लोक प्रसारण सेवाओं के लिए प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क का विस्तार, विकास, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण एक सतत प्रक्रिया है। लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन आपातकालीन स्थितियों के दौरान विश्वसनीय सूचना का समय पर प्रसार सुनिश्चित करते हैं।

सरकार "प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास" (बीआईएनडी) योजना, के माध्यम से प्रसार भारती को प्रसारण अवसंरचना के विस्तार के लिए सहायता प्रदान करती है, जिसे 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के लिए कुल 2539.61 करोड़ रुपये की लागत पर अनुमोदित किया गया है।

(ख): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जो डिजिटल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशन के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करते हैं।

इन नियमों के भाग III में अन्य बातों के साथ-साथ डिजिटल समाचार प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है, जिसके तहत उन्हें भारतीय प्रेस परिषद के "पत्रकारिता आचरण के मानक" और केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का पालन करना अपेक्षित है जिनमें फर्जी, भ्रामक समाचार आदि से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं।

केंद्र सरकार से संबंधित फर्जी खबरों से निपटने के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना कार्यालय के अंतर्गत नवंबर, 2019 में एक फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) की स्थापना की गई है। मंत्रालयों/विभागों में अधिकृत स्रोतों से समाचारों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के बाद, एफसीयू अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सही जानकारी पोस्ट करती है।

\*\*\*\*